न्यायालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया (हनुमानगढ़)
पीठासीन अधिकारी :- जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रार्थना-पत्र :- 251 (ए) आर.टी.ए.
प्रार्थना -पत्र नम्बर 42/2024

[illegible]बस सिह पुत्र मेजर सिह जाति जटसिख साकिन ढाणी चक 3 डीएलपी तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़।

प्रार्थी

बनाम

1. कान्तो
2. कोडो
3. गुजरी
4. गिन्दो
5. बलवन्तकौर
6. लालचन्द
7. राजो
8. जगिन्द्र सिह
9. मिठूसिह पुत्र दलीप सिह
10. वीरपालकौर पुत्र लीलासिह

जाति मजहबी साकिनान लीलावाली तहसील संगरिया

11. [illegible] पुत्र बगडूराम जाति मेघवाल साकिन चक 2 डीएलपी तहसील संगरिया।
12. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

—अप्रार्थीगण

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आर.टी.एक्ट के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम से चक 3 डीएलपी के खाता संख्या 118/20 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 में कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

प्रार्थी द्वारा चक नं. 3 डीएलपी के पं.नं. 159/193 मु.नं. 18 के किला नम्बर 21 व 22 मे से 0.037 है. यानि ढेड–ढेड बिस्वा अर्थात 12 X 330 पूर्व–पश्चिम लम्बा दक्षिणी पासा मे किला नं. 23 में प्रवेश हेतु रास्ता स्वीकृत किया जावे व राजस्व अभिलेख में उक्त कृषि भूमि गै.मु.रास्ता के रूप में दर्ज कर राजस्व मानचित्र में अंकित करवाने बाबत प्रार्थना–पत्र पेश किया।

प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 11 बावजूद सूचना उपस्थित नही आये। इस कार्यालय द्वारा तहसीलदार संगरिया से उक्त रास्ता के प्रकरण को सही रूप से निस्तारण करने एवं मौका की जांच रिपोर्ट चाही जाने पर उन्होने अपने पत्र क्रमांक 537 दिनांक 04.09.2024 द्वारा चक नं. 3 डीएलपी के पं.नं. 159/193 मु.नं. 18 के किला नम्बर 21 व 22 मे से 0.037 है. यानि ढेड–ढेड बिस्वा अर्थात 12 X 330 पूर्व–पश्चिम लम्बा दक्षिणी पासा मे किला नं. 23 में जाने के लिए प्रार्थी ने रास्ता चाहा है। प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता है। रास्ते में किसी भी प्रकार का कोई पेड/अवरोधक नही होना बतलाते हुए रास्ता मन्जूर किये जाने की अनुशंषा की गई है।

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

पत्रावली में तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, मुताबिक रिपोर्ट रास्ता आत्यांतिक आवश्यकता है, रास्ता की मांग सुविधा के लिये नही की जा रही है जबकि आवश्यकता होने पर स्वीकृत करवाना चाहता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थना–पत्र प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 251 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु "रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता" एवं वैकल्पिक रास्ते का अवलोकन पर विचारण किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार से स्पष्टतया प्रकट होता है कि प्रार्थी की कृषि भूमि चक 3 डीएलपी में काश्त करने बाबत जाने हेतु मन्जूर शुद्वा रास्ते का अभाव होने से रास्ते की आत्यंतिक आवश्कता है। अतः यह रास्ता सुविधा के लिए नहीं अपितु आत्यंतिक आवश्यकता के लिए है। अतः न्यायहित में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए में अधिनियम के रकबा में से चक नं. 3 डीएलपी के पं.नं. 159/193 मु.नं. 18 के किला नम्बर 21 में से 0.037 है. यानि ढेड–ढेड बिस्वा अर्थात 12 X 330 पूर्व–पश्चिम लम्बा दक्षिणी पासा किला नं. 22 में से किला नं. 23 में प्रवेश हेतु रास्ता स्वीकृत किया जाता है और इसके बदले में प्रार्थी का उक्तानुसार रकबा किला नं. 23 से कम कर किला नं. 22 के चिपता पश्चिम दिशा में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज किये जाने के आदेश जाते है। अप्रार्थीगण को उक्त रकबा का उक्तानुसार कब्जा दिलवाया जाकर भू.अ.निरीक्षक/हल्का पटवारी की उपस्थिति में रास्ता चालू करवाया जाना सुनिशिचित करे। तहसीलदार संगरिया को इस बाबत पालनार्थ लिखा जावें। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर की जावें।

आदेश आज दिनांक 25.2.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया

Scanned with OKEN Scanner